

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(2)कार्मिक / क-4 / 2017

जयपुर, दिनांक : 01-09-2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2017-18 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ.)	रिक्ति की तिथि
1	मातादीन मीणा (अजजा)	01.04.2017
2	कमलराम मीणा (अजजा)	01.04.2017
3	रामस्वरूप (अजजा)	01.04.2017
4	केसरलाल मीणा (अजजा)	01.04.2017
5	पुरुषोत्तम शर्मा	01.04.2017
6	देवाराम सैनी	01.04.2017
7	नख्वादान बारहठ	01.04.2017
8	मूलचन्द (अजा)	01.04.2017
9	अजय असवाल (अजा)	01.04.2017
10	नवनीत कुमार (अजा)	01.04.2017
11	हरसहाय मीणा (अजजा)	01.04.2017
12	गजेन्द्र सिंह राठौड़	01.04.2017
13	राजपाल सिंह यादव	01.04.2017
14	सुखवीर सैनी	01.04.2017
15	जसवंत सिंह	01.04.2017
16	हरफूल सिंह यादव	01.04.2017
17	विश्वम्भर लाल (अजा)	01.04.2017
18	राजेश वर्मा (अजा)	01.04.2017
19	सुरेश चन्द्र (अजा)	01.04.2017
20	महेन्द्र कुमार खींची (अजा)	01.04.2017
21	जुगल किशोर मीणा (अजजा)	01.04.2017
22	मगनलाल योगी	01.04.2017
23	अजीत सिंह राजावत	01.04.2017
24	अवधेश सिंह	01.04.2017
25	राकेश शर्मा	01.04.2017
26	जगवीर सिंह	01.04.2017
27	महेन्द्र प्रकाश शर्मा	01.04.2017
28	गिरीश पाराशर	01.04.2017
29	बृजेश कुमार चांदोलिया (अजा)	01.04.2017

24

30	राकेश राजोरिया (अजा)	01.04.2017
31	ललित कुमार	01.05.2017
32	शिव प्रसाद सिंह	01.05.2017
33	मेघना चौधरी	01.05.2017
34	ओमप्रकाश-गा	01.06.2017
35	राजेश सिंह	01.07.2017
36	मुकेश कुमार शर्मा	10.07.2017
37	महेन्द्र कुमार शर्मा	10.07.2017
38	अजू राजपाल	10.07.2017
39	विवेक कुमार	10.07.2017
40	मदन लाल नेहरा	10.07.2017
41	प्रेम सिंह चारण	10.07.2017
42	भवानी सिंह पालावत	10.07.2017
43	दिनेश कुमार जांगिड़	10.07.2017
44	बशीधर कुमावत	10.07.2017
45	पूनम प्रसाद सागर (अजा)	10.07.2017
46	श्रवण कुमार बुनकर (अजा)	10.07.2017
47	रामनिवास जाट-गा	10.07.2017
48	परशुराम धानका (अजजा)	10.07.2017

निम्नलिखित अधिकारियों का सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति इनके लिए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा करती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)
1	ओंकार मल
2	लक्ष्मीकान्त बालोत (अजजा)
3	आभा जैन

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत हैं।

उपरोक्त अधिकारीगण पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(संजय मल्होत्रा)

(संजय मल्होत्रा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(4)कार्मिक/क-4/2017


जयपुर, दिनांक : 01-09-2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री लोकेश कुमार सहल को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2017-18 (रिक्ति की तिथि 01.04.2017) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री लोकेश कुमार सहल अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्यग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग


क्रमांक : प. 4(1)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 01-09-2017

आज्ञा


राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री अकील अहमद को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्रीमती वन्दना सिंघवी के नीचे तथा श्री असलम मेहर के ऊपर जोड़ा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. श्री अकील अहमद, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
10. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(2)कार्मिक/क-4/2016


जयपुर, दिनांक : 01-09-2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री चुन्नीलाल सैनी को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री बाबूलाल यादव के नीचे तथा श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय के ऊपर जोड़ा जाता है।


श्री अरूण प्रकाश शर्मा के संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनका प्रकरण यथावत डेफर किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. श्री चुन्नीलाल सैनी, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
10. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(4)कार्मिक / क-4 / 2016

जयपुर, दिनांक : 01-09-2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-


क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	विवरण (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)
1.	मुकेश कायथवाल	श्री अरविन्द कुमार जाखड़ के नीचे तथा श्री मुरारीलाल वर्मा के ऊपर
2.	बलवन्त सिंह लिग्री	श्री गीतेश श्रीमालवीय के नीचे तथा श्री रतन कुमार के ऊपर
3.	शैफाली कुशवाहा	श्री मुकेश कुमार कलाल के नीचे तथा श्री अम्बालाल मीणा के ऊपर

निम्नांकित अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर किये जाते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)
1.	पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत
2.	उत्तम सिंह शेखावत
3.	सत्यनारायण आमेटा
4.	चिमनलाल मीणा (अजजा)


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. संबंधित अधिकारी।
10. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव